न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र जावाल

रा.प्रा.पत्र सं.139/2017

| | | |
|---|---|---|
| प्रार्थी<br>सरकार जरिये तहसीलदार<br>सिरोही | बनाम | अप्रार्थीगण<br>श्रीमती मंजूदेवी पत्नि राजाराम<br>जाति घांची निवासी जावाल<br>तहसील सिरोही जिला सिरोही |

उपस्थित :–

प्रार्थी सरकार जरिये स्वंय तहसीलदार,सिरोही
अनुपस्थित :–

अप्रार्थीया स्वंय व उनके वकील

न्यायालय सहायक कलेक्टर ★ सिरोही (राज०) ★ सत्यमेव जयते

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत

निर्णय दिनांक 9–5–2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज. काश्त.अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी बाबत कृषि भूमि को रूपान्तकरण करवाये बिना अकृषि उपयोग करने का इस न्यायालय मे दिनांक 14–7–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा जावाल के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता नंबर 548 खसरा नंबर 2160/595 कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर किस्म बा.उ.ए. अप्रार्थीं की खातेदारी भूमि आई हुईहै। उक्त खसरा नंबर 2160/595 कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर मेसे 590 वर्गमीटर कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये मकान व परकोटा बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है जमाबंदी,नक्शा ट्रेस व मौका फर्द दिनांक 5–9–2017 मूल ही संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थीया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया है। अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश करवाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता नंबर 548 खसरा नंबर 2160/595 रकबा 0.5030 हेक्टेयर किस्म बा.उ.ए. पटवारी हल्का जावाल की मौका फर्द दिनांक 2–6–2017,नक्शा किश्तवार,का अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दि 14–7–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थीया को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 26–9–2017 को दौराने सुनवाई अप्रार्थीया की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । तथा वकील अप्रार्थीया द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित पर्याप्त समय दिया गया ।

राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से विचारण प्रकरण की यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र जावाल मे आज दिनांक 9–5–2017 को मेरे समक्ष पेश हुई । पत्रावली देखने पर पाया कि अप्रार्थी ने आज तक सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन तक समयावधि व्यतीत होने के बावजूद जवाब पेश नही किया है तथा आगे समय दिया जाना भी उचित नही है इस कारण न्यायालय द्वारा अप्राथीया का जवाब बंद किया जाता है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही उपस्थित हुये । अप्रार्थी व उनके वकील बावजूद सूचना के हाजिर नही हुये है। विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट पर प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता नंबर 548 खसरा नंबर 2160/595 रकबा 0.5030 हेक्टेयर किस्म बा.उ.ए. पटवारी हल्का जावाल की मौका फर्द दिनांक 2–6–2017/नक्शा किश्तवार/का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर गंभीरता से मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि अप्रार्थीया द्वारा उक्त खसरा नंबर 2160/595 कुल रकबा 0.5030 हेक्टेयर मेसे 590 वर्गमीटर कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये मकान व परकोटा बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है । राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 3–10–2017 के निर्देशो कें अनुसार राजस्थान भू–राजस्व ( ग्रामीण क्षैत्रों) मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिर्वतन ) नियम 2007 के नियम 5 मे यह प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अभिधारी 500 वर्गमीटर तक क्षैत्र पर निवास गृह या पशु शाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिये अपनी कृषि भूमि को बिना कोई संपरिर्वतन प्रभार दिये संपरिर्वतन कराने का हकदार है। इस प्रकार संपरिर्वतित क्षैत्र उसकी खातेदारी अभिधृति मे बना रहेगा । जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र अनुसार 500 वर्गमीटर तक ही निवास गृह या पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण को निःशुल्क संपरिर्वतन के आदेश है प्रस्तुत प्रकरण मे 90 वर्गमीटर ज्यादा भूमि पर निर्माण होकर आवासीय उपयोग मे लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी को 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क संपरिर्वतन कराने हेतु अप्रार्थीया 30 दिवस मे तहसीलदार/सिरोही को प्रस्तुत करने की हिदायत दी जाती है। तथा निर्धारित सीमा से ज्यादा 90 वर्गमीटर पर निर्माण होकर आवासीय उपयोग करने से डी.एल.सी. पर (आवासीय) से राशि वसूल करने एवं तद अनुसार नियमानुसार संपरिर्वतन करने के आदेश तहसीलदार/सिरोही को दिये जाते है। निर्धारित 15 दिवस मे अप्रार्थीया द्वारा संपरिर्वतन हेतु आवेदन नही करने पर राज्य सरकार की देय छुट ( 500 वर्गमीटर) निःशुल्क संपरिर्वतन देय नही होगी एवं सम्पूर्ण क्षैत्रफज ( 590 वर्गमीटर) पर डी.एल.सी. दर से राशि वसूल होगी । अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार/सिरोही का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीया का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार/सिरोही को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें । निर्णय आज दिनांक 9–5–2018 को रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र जावाल मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

9/5/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 9–5–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

9/5/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)